रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225680 CG-DL-E-05032021-225680

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] No. 90] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

फा.सं. 1605/एफ़एसएसएआई/आयात/2016/(Pt-2).—कितपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) खंड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी स्ंभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब इन प्रारूप नियमों कि राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव,यदि कोई हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को भेजे या regulation@fssai.gov.in पर मेल किए जा सकेंगे;

1383 GI/2021 (1)

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप विनियम

- 1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2021 है।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017, में, विनियम 7 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) का लोप किया जायेगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./525/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं0 01/2008/आयात संरक्षा/एफ़एसएसएआई, तारीख 9 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे:

- (i) रेग/11/25/आयात संशोधन/ एफ़एसएसएआई-2017, तारिख 7 फरबरी,2018; और
- (ii) फा.सं. 1-1275/एफ़एसएसएआई/आयात/2015, तारिख 20 अक्तूबर,2020।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2021

F. No. 1605/FSSAI/Import/2016(pt-2).—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2017, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

- 1. These regulations may be called the Draft Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2021.
- 2. In the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, in sub-regulation (3) of regulation 7, the clause (b) shall be omitted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./525/2020-21]

Note: The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI, dated 9th March, 2017 and amended vide the following notification numbers-

- (i) F.No. REG/11/25/Import amendment/FSSAI-2017, dated 7th February, 2018; and
- (ii) F. No. 1-1275/FSSAI/Import/2015, dated the 20th October, 2020.